# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर)

भू.न. 72/2019

उनवान

1. ममता कराडिया पत्नी लक्ष्मीनारायण वर्मा, उम्र 26, जाति रैगर, निवासी ग्राम टांकरडा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

—प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चौमू तहसील चौमू जिला जयपुर।

—अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राज0 भू0राजस्व अधि0 1956**

**निर्णय दिनांक**–06.01.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि वाके ग्राम धिनाई, पटवार हल्का धिनोई, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कालाडेरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर में प्रार्थीया की आराजी भूमि खसरा नम्बर 2922/765 रकबा 0.4233 है0, खसरा नम्बर 2925/768 रकबा 0.07 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.4933 है0 स्थित है। जो संपूर्ण ही प्रार्थीया के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा प्रार्थीया उक्त आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है तथा वर्तमान में भी कर रही है।

भूमि खसरा नम्बर 764 रकबा 0.66 अप्रार्थी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा प्रार्थीया की भूमि लगवा पश्चिमी ओर स्थित है। विवादित भूमि का सीमाज्ञान श्रीमान् तहसीलदार महोदय, चौमू के आदेश क्रमांक भूअ/2019/4712 दिनांक 23.10.2019 के आदेश की अनुपालना में पटवारी हल्का धिनोई द्वारा दिनांक 25.10.2019 को मौके पर पहुंचा। आराजी खसरा नंबर 762 गै.मु. चाह का तूदा नं. 162 से तथा खसरा नंबर 766 गै.मु. चाह से मिलान किया गया जो नक्शा मौका सही पाया गया। उपरोक्त बिन्दुओं से तूदा नं. 160 व 161 का मिलान किया गया जो नक्शा मौका सही पाया गया। उपरोक्त संपूर्ण बिन्दुओं को पुख्ता मानकर खसरा नम्बर 2922/765 की चारों सीमाओं एवं खसरा नंबर 2925/768 की चारों सीमाओं पर चिह्न लगवाए एवं उपरोक्त कार्यवाही से प्रार्थीया ने अपनी सन्तुष्टि जाहिर की। फर्द मौका लिखकर पढ़ सुनकर उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर करवाये गये। जिस सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित आराजीयात की प्रार्थीया पत्थरगढ़ी करवाना चाहती है। विवादित आराजीयात प्रार्थीया की एकमात्र तन्हा खातेदारी की भूमि है जिसकी पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। यदि मान्य न्यायालय द्वारा पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जाते हैं तो इससे किसी पक्षकार को कोई हानि नहीं होगी तथा प्रार्थीया अपनी कब्जेशुदा स्वामित्व की भूमि की पत्थरगढ़ी करवाकर अपनी भूमि का उपयोग उपभोग कर सकेगी जिससे प्रार्थीया की फसल को आवारा पशुओं से किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। अतः प्रार्थीया की भूमि का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 25.10.2019 के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाये जाने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की गई।

प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित है। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस अधिवक्ता प्रार्थीया सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया आवेदित आराजी की रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीया द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 25.10.2019 को पटवारी हल्का द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थीया का प्रा0पत्र पत्थरगढ़ी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीयाका प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढ़ी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 25.10.2019 के अनुसार उभयपक्षकारों को सूचित करते हुये पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2020 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.03.05 16:25:57 IST
Reason: SelfAttested